संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों से सह-बन्दी प्रमाणपत्र स्वीकार किये जाते है, यदि आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तारीख अर्थात 31-3-1974 से पहले प्रस्तुत कर दिये गये थे। फरार, नजरबंदी/निष्कासन, रोजगार की हानि, स्थाई रूप से असमर्थ होने इत्यादि जैसी अन्य प्रकार की यातनाओं के दाला में गिरफ्तारी के वारन्टो, फरार के रूप में अपराधी को घोषणा, नजरबन्दी के आदेश, बरखास्तगी इत्यादि जो भी हो, जैसे सरकारी रिकार्डों के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जाती है ।

(ख) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृत के लिए 31-3-1978 तक 2,47,637 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 1,16,478 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है । स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन दन पर लगभग 24 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किया जा रहा है ।

Cement Plants at Adilabad and Thandur (A.P.)

7422 SHRI G NARSIMHA REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) Is it a fact that Government have issued orders to stop the construction of Cement Plants at Adilabad and Thandur in Andhra Pradesh; and

(b) if so, why and whether Government want the work to go slow or completely stop?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Production of Camphor

7423 SHRI UGRASEN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state.

(a) the total indigenous production of camphor in the country;

(b) the quantity and value of camphor in the country, and

(c) whether Government propose to liberalise import of camphor and what will be its impact on indigenous product?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) (a) The total indigenous production of camphor in the organised sector is as folows:

1976	902435 kgs
1977	893502 kgs

(b) Since imports have been allowed as from 6th January, 1978, the actual import figures are not available

(c) Import of camphor was permitted to actual users on restricted basis i e upto 20 per cent of the value of licences with effect from 6th January, 1978 In terms of the import policy for 1978-79 the import of camphor is allowed only to actual users (industrial) on the basis of past consumption Import is not expected to have any material impact on indigenous production

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का विकास

7424. श्री मदन तिवारी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार ने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के उन सात जिलों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की है जहां आदिवासी और हरिजन अधिक संख्या में रहते है और जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए है ,

(ख) क्या सरकार का विचार इन सात जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इन पिछड़े जिलों का विकास सरकार किस प्रकार से करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां छत्तीसगढ़ के सात जिलों की कुल संख्या का लगभग 40.5 प्रतिशत हैं । ये जिले पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत आते है। इसके अलावा इन सात जिलों में से तीन जिलों के कुछ खण्डों में लघु कृषक विकास अभिकरण काम कर रहा है । ये कार्यक्रम उन विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं जो कि मुख्य रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जनजातीय जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्रों के विकास से संबंधित नीति 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दी गई है ।

Alternating Fuel for Tarapur Plant

7425. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Scientists at the Department of Atomic Energy have been working on an alternative fuel to prevent uninterrupted functioning of the Tarapur plant in the context of the present attitude of the United States; and

(b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) Use of mixed oxide fuel consisting of uranium and plutonium is theoretically feasible as an alternative fuel to run the Tarapur Atomic Power Station. The requisite technical studies are in progress. As plutonium is a highly toxic substance, special fabrication techniques and facilities would be needed to make fuel bundles suitable for Tarapur Atomic Power Station. All these aspects are being studied.

स्टेशन निदेशकों के रूप में पदोन्नत सहायक स्टेशन निदेशकों की संख्या

7426. **श्री राममूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने सहायक स्टेशन निदेशकों को स्टेशन निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया ;

(ख) आपात स्थिति के दौरान 1976 में गठित विभागीय पदोन्नति समिति ने कितने सहायक स्टेशन निदेशकों से साक्षात्कार किया और उनमें से कितनों को स्टेशन निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया ;

(ग) उन सहायक स्टेशन निदेशकों के नाम क्या हैं जिन्हें दो वर्ष से कम के अनुभव के साथ भी स्टेशन निदेशकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया , और

(घ) उनको स्टेशन निदेशकों के रूप में पदोन्नत करने के क्या कारण है और उन सब की विशेष अर्हताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान 65 सहायक केन्द्र निदेशकों को विभागीय